

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठारीन अधिकारी :-सत्यनारायण आर.ए.एस.

गि0न0 141/2026

1 डिम्पल सहारण पुत्री कृपाल सिंह जाति जाट निवासी चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।

---वादीया

बनाम

1 कृपालसिंह पुत्र लुणाराम जाति जाट निवासी चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।

2 प्रताप भानू पुत्र कृपालसिंह जाति जाट निवासी चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।

3 तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझा सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री ए0एस0जोईया व प्रतिवादी वकील सुखवीरसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- चक 4 बीआरएन के खाता स0 5/10 में वर्णित कुल आराजी 4.1755 है में से प.न. 211/374 मु.न. 12 के कि.न. 6/0.253 कमाण्ड, 15/2/0.2505 कमाण्ड, 16/1/0.2280 कमाण्ड, 25/4/0.2050 कमाण्ड प.न. 212/375 मु.न. 16 कि.न. 1/1/0.2280 कमाण्ड, 1/2/0.0250 गै.मु.खाला, 2/1/0.2280 2/2/0.0250 गै.मु.खाला, 3/1/0.2280 कमाण्ड, 3/2/0.0250 गै.मु.खाला, 4/1/0.2280 कमाण्ड, 4/2/0.0250 गै.मु. खाला, 5/1/0.2030 5/2/0.0500 गै.मु.खाला, प.न. 213/374 मु.न. 10 कि.न. 1, 10, 11, 20, 21/2/0.2280 कमाण्ड, 22/2/0.2280 कमाण्ड कुल 3.6695 है0 मय गै0मु0 आराजी की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व चक न0 चक 4 बीआरएन के खाता स0 5/10 में प्रतिवादी स0 1 कृपालसिंह का हिस्सा कम किया जावे। वादीया एवं प्रतिवादीगण का खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम की जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/1/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड (सहायक) अधिकारी (राजस्व) R.A.S.
पदेन सहायक कलक्टर अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।

